

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 66/2019

1. शमशेर सिंह उर्फ बबरशेर सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--अप्रार्थी--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए,136 एलआरएक्ट

--निर्णय--

दिनांक :12.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता स. 157 में मेरा नाम बबरशेर सिंह पुत्र जगराज सिंह अंकित है। जबकि मेरा असल नाम शमशेर सिंह है। जैसा कि मेरे अन्य दस्तावेज में अंकित है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम बबरशेर सिंह की जगह शमशेर सिंह अंकित किए जाने की कृपा करे। सहखातेदार बलविन्द्र सिंह, जसपाल सिंह ने शपथ पत्र में अंकित किया है कि मैं हलफन ब्यान करते है कि चक 24 ओ तहसील श्री करणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 92/14 में मु.न. 18, 133/9 व खाता संख्या 157 में मु.न. 7, 14 में हमारे नाम व हमारे भाई के नाम भूमि है। हमारे भाई का राजस्व रिकॉर्ड में नाम बबरशेर सिंह पुत्र जगराज सिंह लिखा गया है। जबकि सही नाम शमशेर सिंह पुत्र जगराज सिंह है। हमारे भाई बबरशेर सिंह का सही नाम शमशेर सिंह है। राजस्व रिकॉर्ड में हमारे भाई बबरशेर सिंह का नाम सही करके शमशेर सिंह किया जावे तो उचित होगा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 92/94 के मु.न. 18, 133/9 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 157/157 के मु.न. 7, 53 की प्रति व आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत 6 एफए रडेवाला का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर 88 आरटीए, 136 एल.आर.एक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्री करणपुर के क्रमांक 7912 दिनांक 23.12.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 157 के मु.न. 7 व 53 में 2.614 हैक्टर नहरी/बारानी हिस्सा बबरशेर सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख सा. देह खातेदार है। प्रार्थी द्वारा स्वयं के नाम खरीद करने का बैयनामा दिनांक 01.12.2017 पेश किया है। उसमें भी प्रार्थी ने बबरशेर सिंह के नाम से ही रकबा क्रय किया है, गांव 24 ओ भुट्टीवाला में भी पुछताछ की गई। मुताबिक पुछताछ बबरशेरसिंह व शमशेर सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। गांव में प्रार्थी को दोनो ही नामों से जाना जाता है।

बहस सुनी गई प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 157 में अंकित नाम बबरशेर सिंह के स्थान पर शमशेर सिंह अंकित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, में प्रार्थी का नाम शमशेर सिंह अंकित है। प्रार्थी के नाम के

शमशेर सिंह उर्फ बबरशेर सिंह बनाम राजस्थान सरकार
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एल.आर.एक्ट प्रकरण संख्या 66/2019

सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत 6 एफ ए रडेवाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम शमशेर सिंह अंकित किया गया है। जमाबन्दी में नाम बबरशेर सिंह अंकित है। सहखातेदार बलविन्द्र सिंह व जसपाल सिंह के द्वारा पेश शपथ पत्र में अंकित किया है कि चक चक 24 ओ तहसील श्री करणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 92/14 में मु.न. 18, 133/9 व खाता संख्या 157 में मु.न. 7, 14 में हमारे भाई बबरशेर सिंह का नाम सही करके शमशेर सिंह किया जावे तो उचित होगा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत यथा शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 157/157 के मु.न. 7, 53 में 2.614 हैक्टर बारानी/नहरी व जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 92/14 के मु.न. 18, 133/9 में दर्ज प्रार्थी का नाम बबरशेर सिंह के स्थान पर शमशेर सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इन दोनो खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। व एक प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्री करणपुर को सूचनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

